शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1508 बी/क0नि0–6–2017

प्रेषक

राजेन्द्र सिंह मौर्य
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

विषय – फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत मृतक एवं अनुपलब्ध शपथ पत्र वाले जिला स्तरीय समितियों के स्तर के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत 'Decision Awaited" श्रेणी में रखे गये मृतक एवं अनुपलब्ध शपथ पत्र से संबंधित प्रकरण बड़ी संख्या में लम्बित है जिनका निस्तारण तृतीय चरण के उपरांत किया जाना है। एतद्विषयक संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 के पत्र संख्या–1352बी/क0नि0–6–2017, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके प्रस्तर–2 एवं 3 में उपर्युक्त विषयक प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में जिला स्तरीय समिति के स्तर पर वांछित कार्यवाही के लिए दिशा–निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभियान चलाकर उपर्युक्त श्रेणी के लम्बित प्रकरण जैसे–जैसे संस्तुति हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत हों, पूर्व के चरणों में की गयी कार्यवाही के अनुरूप निम्न समय–सारिणी के अनुसार उनका सप्ताहवार निस्तारण एक माह के अन्दर किया जायः–

क0	सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही	समयावधि			
		प्रथम सप्ताह (14–21 अक्टूबर, 2017)	द्वितीय सप्ताह (22–29 अक्टूबर, 2017)	तृतीय सप्ताह (30 अक्टूबर से 06 नवम्बर, 2017)	चतुर्थ सप्ताह (07–14 नवम्बर, 2017)
1	'Decision Awaited' श्रेणी में रखे गये मृतक एवं अनुपलब्ध शपथ पत्र से संबंधित प्रकरणों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कमशः अर्ह पाये गये कृषकों की सूची को जिला स्तरीय समिति द्वारा पोर्टल पर सप्ताहवार मार्क किया जाना	14 से 15 अक्टूबर	प्रथम सप्ताह में छूटे प्रकरण 22 से 23 अक्टूबर	द्वितीय सप्ताह में छूटे प्रकरण 30 से 31 अक्टूबर	तृतीय सप्ताह में छूटे प्रकरण 07 से 08 नवम्बर
2	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कमशः अर्ह पाये गये एवं पोर्टल पर सप्ताहवार मार्क किए गए कृषकों की जिला स्तरीय समिति द्वारा धनराशि की डिमांड जनरेट किया जाना	16 अक्टूबर	24 अक्टूबर	01 नवम्बर	09 नवम्बर
3	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कमशः जिला स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा पर एनआईसी की राज्य	17 से 18 अक्टूबर	25 से 26 अक्टूबर	02 से 03 नवम्बर	10 से 11 नवम्बर

	इकाई द्वारा वैलिडेशन फिल्टर्स चलाया जाना				
4	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कमशः कृषि निदेशालय द्वारा देयक की तैयारी किया जाना	19 अक्टूबर	27 अक्टूबर	04 नवम्बर	12 नवम्बर
5	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कमशः कृषि निदेशालय द्वारा बैंकों की राज्य स्तरीय नोडल शाखाओं को धनराशि का अंतरण	20 अक्टूबर	28 अक्टूबर	05 नवम्बर	13 नवम्बर
6	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में कमशः नोडल शाखाओं से खातों में धनराशि अन्तरण, स्कॉल जनरेशन तथा प्रमाण पत्र प्रिण्टिंग आदि	21 अक्टूबर	29 अक्टूबर	06 नवम्बर	14 नवम्बर

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या– (1) बी/क0नि0–6–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/सहकारिता/आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त/कृषि/राजस्व/सूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
5. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक कृषि/कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।